

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11525 / 3635

दिनांक :- 08-06-19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री रवि कान्त [लिंक न. 11525] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, भरतपुर - [7239] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 10/05/2018 से 11/05/2018 तक 2 दिवस

दिनांक 17/05/2018 से 18/05/2018 तक 2 दिवस

दिनांक 24/05/2018 से 25/05/2018 तक 2 दिवस

दिनांक 04/06/2018 से 15/06/2018 तक 12 दिवस

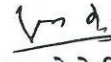
दिनांक 19/06/2018 से 05/07/2018 तक 17 दिवस

दिनांक 10/07/2018 से 23/07/2018 तक 14 दिवस

दिनांक 30/07/2018 से 03/08/2018 तक 5 दिवस

कुल 54 दिवस

उक्त कुल 54 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रवि कान्त की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11525 / 3635

दिनांक :- 08-06-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, भरतपुर - [7239]
2. कोषाधिकारी भरतपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रवि कान्त [11525] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (द्वितीय), शिक्षा विभाग (माध्यमिक), भरतपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)